प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला ओपी एसीबी, विअनुई. जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर वर्ष 2022. प्र0इ0रि0 सं. ......68/2022............................दिनांक 3/3/2022.................................

2. (I) * अधिनियम ...पी0सी0 (संशोधन) एक्ट 2018.......... धारायें..........7........
   (II) * अधिनियम ....धारायें ....
   (III) * अधिनियम .... धारायें ....
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....56.............. समय 3-30 P.M.
   (ब) * अपराध घटने का वार..........दिनांक....06.01.2022....... समय......................
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 06.01.2022

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक– **लिखित**

5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– पूर्वोत्तर दिशा में करीब 13 कि0मी0 ....
   (ब)*पता–पुलिस थाना खो–नागोरियान, पुलिस आयुक्तालय जयपुर पूर्व............
   ....बीट संख्या.........................जयरामदेही सं.................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम.................बाबू खान.............................. ....
   (ब) पिता / पति का नाम–**श्री मसीद खान** ....
   (स) जन्म तिथी / वर्ष.........**उम्र 37 साल**..
   (द) राष्ट्रीयता ....**भारतीय**..
   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
   जारी होने की जगह ....
   (र) व्यवसाय ....
   (ल) पता... ढाणी चौपड़ा, जगतपुरा रोड़, पुलिस थाना खो–नागोरियान, जयपुर।

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
1– श्री इस्हाख खॉ **पुत्र श्री मोहम्मद खॉ उम्र–59 साल निवासी– ग्राम पोस्ट– खो दरिबा तहसील राजगढ जिला अलवर हाल हैड कानि.नं.92 पुलिस थाना खो–नागोरियान, पुलिस आयुक्तालय जयपुर पूर्व**

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–...
   चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)....

10. * चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....

11. * पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 06.01.2022 को श्री बजरंग सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर ने मन् पुलिस निरीक्षक रघुवीर शरण को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री बाबू खान पुत्र श्री मसीद खान, उम्र 37 साल, निवासी खो नागौरियान, ढाणी चौपडा, जगतपुरा रोड, जयपुर की एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पर मुझ पुलिस निरीक्षक के नाम पृष्ठांकन कर परिवादी से सम्पर्क करने की मुनासिब हिदायत कर मुझे देकर नियमानुसार अग्रिम

कार्यवाही करने के निर्देश फरमाये।तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री बाबू खान द्वारा पेश प्रार्थना पत्र लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया। परिवादी श्री बाबू खान द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर इस आशय का पाया कि – सेवामें श्रीमान, अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (राज.), विषय– खो नागोरियान थाने के भ्रष्ट हैड कानि. ईसाक खान, के खिलाफ कार्यवाही करने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैनें करीम नगर विस्तार, प्लॉट नं ए–10 खो नागौरियान जिला जयपुर में खरीदा है जो मेरे पिताजी के नाम से खरीदा हुआ है। मेरे पिताजी का ईन्तकाल होने के बाद उक्त प्लॉट का मैं वारिस हूँ। खो नागौरियान में एक अब्दुल मलिक नाम के व्यक्ति ने मेरे प्लॉट पर मालिकाना हक जताते हुए थाने में मेरे खिलाफ शिकायत कर दी। जब कि उक्त प्लाट पर मैं पिछले 15 साल से चार दीवारी बनाकर काबिज हूँ। खो नागोरियान थाने का एच.एम. बार–2 मुझे बुला कर एक लाख रूपये की मांग करता है। और रूपये नहीं देने पर गिरफ्तार करने की बार–बार धमकी दे रहा है। मैं एच. एम. साहब को रिश्वत नही देना चाहता, उसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। श्री ईसाक खान H.M साहब से मेरी कोई लेनदारी –देनदारी नहीं है नाहीं मेरा उससे कोई विवाद है आप उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर मामला प्रथम दृष्ट्या रिश्वत मांग का पाया जाने से मुझ पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष में पूर्व से उपस्थित श्री अमित ढाका कानि 489 के मोबाईल नं. 8079007813 से मन निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री बाबू खान के मोबाईल नम्बर 9829332170 पर अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क किया गया तो परिवादी श्री बाबू खान ने कार्यालय हाजा आने में असमर्थता जताते हुए खो नागोरियान पुलिस थाने के पास में स्थित चाय की थड़ी पर मांग सत्यापन हेतु मिलना बताया। जिस पर मन निरीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष की आलमारी से वॉईस रिकॉर्डर मंगवा कर खाली होना सुनिश्चित कर श्री अमित ढाका कानि 489 को वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया समझाकर वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आवश्यक दिशा निर्देश देकर मय श्री दिलावर खान कानि 246 के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी द्वारा बताये गये निर्धारित स्थान पर प्राईवेट वाहन से रवाना किया गया। समय 01.55 पीएम पर श्री अमित ढाका कानि 489 व श्री दिलावर खान कानि 246 कार्यालय में उपस्थित आये श्री अमित ढाका कानि 489 ने वॉइस रिकॉर्डर बन्द हालत में मुझ पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं व दिलावर खान कानि आपके बतायेनुसार खो नागोरियान पुलिस थाने के पास में स्थित चाय की थड़ी पर पहुँचे जहां पर परिवादी के मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क किया परिवादी श्री बाबू खान उपस्थित आया, जिस पर मैनें बाबू खान को वॉईस रिकॉर्डर चालू कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु सुपुर्द किया। परिवादी बाबू खान लगभग 10 मिनट बाद वापस आया जिस पर मैनें परिवादी से वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी बाबू खान ने बताया कि मेरी खो नागोरियान थाने में हैड साहब से बात हुई है। जिन्होनें मुझसे मेरे काम के एवज में रिश्वत की मांग की है। जो मेरे द्वारा वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने जरिए मोबाईल परिवादी से बात की तो परिवादी ने खो नागोरियान थाने में हैड कानि0 श्री ईसाक खान द्वारा रिश्वत राशि 10 हजार रूपये मांगना बताया। मन पुलिस निरीक्षक ने वॉईस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर सुना तो परिवादी के कथनों की ताईद होती है। आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार की जावेगी। वॉयस रिकार्डर को सुरक्षित हालत में कार्यालय की आलमारी में रखा गया। समय 03.50 पीएम पर परिवादी श्री बाबू खान उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि आज मेरे पास पूरे पैसे की व्यवस्था नही हुई है मैं कल सुबह 09 बजे तक पूरे पैसे की व्यवस्था कर आपके पास आउंगा क्योंकि संदिग्ध आरोपी ने मुझे कल ही पैसे लेकर बुलाया है जिस पर श्री हिम्मत सिंह कानि0 560 को गोपनीय कार्यवाही हेतू दो स्वतंत्र गवाहान पाबन्द कर लाने हेतू पत्रांक एसपीएल दिनांक 06.01.2022 के रवाना किया गया। परिवादी श्री बाबू खान को प्रार्थना पत्र में उल्लेखित प्लाट नम्बर ए–10, करीम नगर, विस्तार, खो नागौरियान, जयपुर से संबंधित दस्तावेज एवं आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत की राशि लेकर कल दिनांक 07.01.2022 को वक्त 09:00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित आने की एवं गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर रूखस्त किया गया। समय 05.05 पीएम पर श्री हिम्मत सिंह